

हरियाणा लैंड पुलिंग पॉलिसी-2022

चर्चा में क्यों?

9 सितंबर, 2022 को हरियाणा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने 'हरियाणा लैंड पुलिंग पॉलिसी-2022' की अधिसूचना जारी की।

प्रमुख बिंदु

- शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के लिये अब हरियाणा में किसानों की ज़मीनों का जबरदस्ती अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। किसानों की इच्छा के आधार पर ही ज़मीन खरीदी जाएगी।
- इसके साथ ही अलग-अलग प्रोजेक्ट के लिये प्रदेश में लैंड बैंक तैयार किया जाएगा, ताकि परियोजनाओं को समय पर ज़मीन मलि सके और विकास कार्य जल्दी हो सके।
- किसानों की इच्छा से ज़मीन मलिने के बाद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) प्रकाशति विकास योजना में शहरी क्षेत्र के भीतर स्थति आवासीय, वाणजियकि, संस्थागत और बुनयादी ढाँचे का विकास करेगा।
- इसके अलावा, हरियाणा राज्य औद्योगिकि एवं अवसंरचना विकास नगिम लमिटेड (एचएसआईआईडीसी) भी हरियाणा में नई औद्योगिकि इकाइयाँ स्थापति करेगा। भू-मालकिों को भूमि अधिकार प्रमाण-पत्र जारी कया जाएगा।
- गौरतलब है कि 29 जुलाई को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा लैंड पुलिंग पॉलिसी-2022 को मंजूरी दी गई थी।
- नीतिके तहत कोई भी भूमि मालकि सीधे या एग्रीगेटर के माध्यम से आवेदन मांगने के 60 दनिों के भीतर परयोजना के लिये भूमिकी पेशकश कर सकेगा। इस अवधिको आवश्यकता अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है, जो 30 दनिों से अधिक नहीं होगी। आवेदन के लिये कोई शुल्क नहीं होगा और आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार कया जाएगा।
- भू-मालकि भूमिके बदले विकसति भूमि भी ले सकते हैं। यह परयोजना की कुल लागत में भूमि मालकिों की दी गई अवकिसति भूमिके बाज़ार मूल्य पर आधारति होगी।
- विकास परयोजना के लिये योगदान करने वाले प्रत्येक भू-मालकि को वार्षिक अंतरमि वत्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जसि परयोजना की कुल लागत में शामिल कया जाएगा। यद एग्रीगेटर के माध्यम से भूमिकी पेशकश की जाती है तो एग्रीगेटर पारश्रमकि प्राप्त करने का पात्र होगा, बशरते कि पारश्रमकि 0.5 प्रतिशत से कम न हो।